उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ–नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.....सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 08 / एन0बी0 / एस0बी0 / 2024

हे0 कान्स0 अभि0 सुनील ढेक, आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह ढेक, स्थाई निवासी ग्राम मल्लाढक, थाना व तहसील लोहाघाट व पो0 आ0 कर्णकरायत, जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड)

.....याची

बनाम्

1. **उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।**
2. **पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।**
3. **पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।**

..... विपक्षीगण

उपस्थितिः श्री नदीमुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर 05, 2024

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

1. **आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 21.02.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1), 29 दिन का बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिनांकित 21.02.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) तथा अपील प्राधिकारी का अपील निरस्तीकरण**

आदेश दिनांकित 12.09.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 3) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें तथा उसका सवेतन मेडिकल अवकाश स्वीकृत करं,

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें
3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,
4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2009 में याची पुलिस विभाग में कांस्टेबिल ना0पु0 के पद पर नियुक्त हुआ। विभागीय पदोन्नति परीक्षा 2020–21 के माध्यम से मुख्य आरक्षी अभिसूचना पद पर अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड के आदेश से पदोन्नत किया गया तथा उसकी तैनाती श्रीमान् पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 26.11.2022 से एएसआईओ स्टाफ रौसाल स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में जिला चम्पावत में एएसआईओ स्टाफ रौसाल के पद पर तैनात है। दिनांक 12.07.2022 को श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के आदेश द्वारा याची को प्रशिक्षण केन्द्र 31वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) से कांवड़ यात्रा जनपद हरिद्वार रवाना किया गया तथा ड्यूटी समाप्ति के उपरान्त दिनांक 26.07.2022 को ड्यूटी से बस से लौटते समय उसका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया एवं उसी बस से अपने घर लोहाघाट पहुंच गया। चिकित्सक द्वारा मेडिकल फिटनेस देने पर अपनी आमद प्रशिक्षण केन्द्र 31वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर जनपद ऊधम सिंह नगर में श्रीमान् सेनानायक महोदय के आदेशानुसार करायी गयी व वापसी/आमद की सूचना प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2022 को मय मेडिकल प्रपत्रों व अन्य

प्रपत्रों के श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित की गयी। उक्त प्रकरण में विपक्षी सं0–03 द्वारा श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक धारचूला को प्रारम्भिक जॉच सौपने के उपरान्त, श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक धारचूला ने अपनी प्रारम्भिक जॉच आख्या सीओडीसीए–प्रा0जां च/2022 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 में बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये, बिना स्वतन्त्र गवाहों तथा साक्ष्यों के याची को 29 दिवस बिना अवकाश व अनुमति के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने का दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक धारचूला की उक्त जॉच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता का द्योतक कार्य करने का आरोप लगाते हुये विपक्षी सं0–03 ने कारण बताओ नोटिस संख्या द–41/2022 दिनांक 14.12.2022 याची की वर्ष 2022 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। इसके अतिरिक्त 29 दिवस बिना अवकाश व अनुमति के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाते हुये उक्त अनुपस्थिति अवधि के बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में भी नोटिस संख्या द–41/2022 दिनांक 14.12.2022 प्राप्त कराया गया। उक्त नोटिसों का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने तथा संबंधित ईलाज की अवधि का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0–03 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2022 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–41/2022 दिनांक 21.02.2023 पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त 29 दिवस बिना अवकाश व अनुमति के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाते हुये उक्त अनुपस्थिति अवधि के बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करने का आदेश द–41/2022 दिनांक 21.02.2023 पारित

कर दिया। याची ने उक्त आदेशों के विरूद्ध विपक्षी सं0–02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं विपक्षी सं0–02 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील निरस्तीकरण आदेश पत्रांक सीओके–अपील–13/2023 दिनांकित 12 सितम्बर, 2023 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील निरस्तीकरण आदेश याची को दिनांक 18.10.2023 को प्राप्त कराया गया। अतः याची द्वारा उक्त याचिका मा0 लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड की खण्डपीठ नैनीताल के समक्ष योजित की गयी है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार हैः–

3.1 याची के प्रारम्भिक जॉच में दोषी पाये जाने के उपरान्त याची को पत्र संख्या द–41/2022 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) एवं उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23 (2) (बी) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख चरित्र पंजिका में अंकित करने एवं सम आदेश दिनांक 14.12.2022 के द्वारा याची की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 27.07.2022 से 24.08.2022 तक कुल 29 दिवस का "काम नही ंतो दाम नहीं" सिद्धान्त के आधार पर बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करने विषयक कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा उक्त दोनों कारण बताओ नोटिस मय प्रारम्भिक जॉच आख्या की प्रति सहित दिनांक 26.12.2022 को प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 28.12.2022 को प्रस्तुत किया। याची द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित स्पष्टीकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा बलहीन एवं असंतोषजनक पाते हुये नियमानुसार दण्डित किया गया है एवं दण्ड आदेशों के विरूद्ध

याची द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल को प्रस्तुत अपील, पुलिस उप–महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के आदेश संख्याः सीओके–अपील–13/2023 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा याची द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने के कारण अपील अस्वीकृत कर दी गयी। अतः उक्त याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वह कॉवड़ यात्रा ड्यूटी से दिनांक 26.07.2022 को अवमुक्त होकर दिनांक 27.07.2022 को प्रशिक्षण, 31वीं वाहिनी पीएसी, रूद्रपुर के लिये रवाना हुआ था, किन्तु मार्ग में स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण प्रशिक्षण केन्द्र में न जाकर सीधे अपने घर लोहाघाट, चम्पावत चला गया था, जहॉ पर उसने दिनांक 28.07.2022 को उप–जिला चिकित्सालय, लोहाघाट में अपना ईलाज करवाया एवं दिनांक 24.08.2022 को फिटेनस व मेडिकल प्रमाण–पत्र सहित उसी दिन प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर में गैरहाजिरी से वापस आ गया था। याची द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वह कॉवड़ ड्यूटी यात्रा के उपरान्त बिना अवकाश स्वीकृति के अपने गृह जनपद चला गया था तथा यह भी कि उसने अपनी गैरहाजिरी को अवधि के दौरान न तो इस सम्बन्ध में कोई सूचना अपने प्रशिक्षण केन्द्र अथवा उत्तरदाता सं0–03 पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ को दी थी और न ही अपनी बीमारी के सम्बन्ध में चिकित्सा अवकाश प्राप्त

करने की कोई कार्यवाही की थी। याची का कथन यह है कि उसकी तबियत अचानक अधिक खराब होने के कारण किसी प्रकार की सूचना उच्चतर अधिकारियों को नहीं दे पाया था। साथ ही यह भी कि उसे तद्विषयक सुसंगत प्राविधानों की जानकारी भी नहीं थी। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कहा गया कि याची को दण्ड देने का अधिकार उसके नियुक्तिकर्ता अधिकारी अथवा प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर के अधिकारियों को था, न कि उत्तरदाता सं0–03 पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ को। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार याची द्वारा अपने विभाग को उपलब्ध कराये गये चिकित्सकीय अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वह गम्भीर रूप से बीमार था, किन्तु जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का उचित संज्ञान नहीं लिया गया। इसी प्रकार जॉच रिपोर्ट में इस तथ्य का भी यथोचित संज्ञान नहीं लिया गया है कि याची के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा संख्या–513/2022, धारा 376/313/506 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग दिनांक 24.07.2022 को थाना पटेल नगर, देहरादून में संस्थित होने के कारण वह अत्यन्त मानसिक परेशानी में था, जिसके कारण उसकी तबियत खराब हो गयी थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार याची द्वारा कॉवड़ यात्रा ड्यूटी भली–भॉति सम्पन्न की गयी थी एवं उसके स्तर पर त्रुटि मात्र इतनी हुई कि वह वापस अपनी आमद निर्धारित स्थान पर यथोचित समय पर नहीं करा सका।

7. विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि आपराधिक मुकदमें से बचने के लिये याची वस्तुतः फरार हो गया था एवं अपनी अग्रिम जमानत करवाने के लिये मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल चला गया था, जैसा कि स्वयं याची को प्राप्त कराये गये कारण–बताओ नोटिस दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण दिनांक 28.12.2022 से स्पष्ट है (संलग्नक सं0–7)। अतः याची का कथन पूर्णतः मिथ्या है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वस्तुतः याची के आचरण को दृष्टिगत् रखते हुये उसे कठोर दण्ड दिया जाना स्वाभाविक है।

8. इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि अनुशासन पर आधारित पुलिस विभाग में कार्यरत् रहते हुये आपराधिक मुकदमें में आरोपित होना, बिना अवकाश स्वीकृत कराये 29 दिनों के लिये अनुपस्थित रहना, अनुपस्थिति के दौरान सक्षम विभागीय अधिकारियों को सूचना न देना, बीमारी का कारण बताते हुये चिकित्सकीय अभिलेख प्रस्तुत करना एवं अनुपस्थिति की अवधि के दौरान मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल से अग्रिम जमानत प्राप्त करने की प्रकिया करना इत्यादि यह इॅगित करते हैं कि याची की याचिका अधिकांशतः मिथ्या कथन पर आधारित है। मुख्य आरक्षी रैंक पर अभिसूचना के कार्यभार का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले याची का यह कथन भी अविश्वसनीय है कि उसे अवकाश विषयक नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि उत्तरदाता सं0–03 पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ को दण्ड देने का अधिकार नहीं था एक त्रुटिपूर्ण कथन है क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ में तैनाती के दौरान ही याची को प्रशिक्षण हेतु 31 वीं वाहिनी पीएसी में भेजा गया था, अतः उनकी तैनाती का जनपद विधिक तौर पर जनपद पिथौरागढ़ ही माना जायेगा।

9. प्रकरण में जॉच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक, धारचूला द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2022 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गयी है, एवं उक्त के आधार पर जारी किया गया कारण–बताओ नोटिस दिनांक 14.12.2022 भी नियमानुसार ही जारी किया गया है। याची के उत्तर दिनांक 28.12.2022 को सन्तोषजनक न मानते हुये उत्तरदाता सं0–03 पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि भी तथ्यात्मक रूप से सही है एवं पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत अन्तिम आदेश दिनांक 21.02.2023 में भी याची के स्पष्टीकरण को बलहीन व असन्तोषजनक पाया जाकर दिनांक 27.07.2022 से 24.08.2022 तक 29 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि का "काम नहीं तो दाम नहीं" के सिद्धान्त पर बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया जाना भी नियमानुकूल है। स्वाभाविक रूप से इन्हीं

सब कारणों के आधार पर उत्तरदाता संख्या–02 अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को बलहीन पाया जाकर अपने आदेश दिनांक 12.09.2023 द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि याची की याचिका मिथ्या कथन पर आधारित होने, ड्यूटी एवं अवकाश विषयक नियमों का गलत प्रस्तुतीकरण करने एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार, याची का याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

दिनांकः दिसम्बर 05, 2024
नैनीताल।
बी0के0

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)